

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
65 / 2025

दायर दिनांक  
22.04.2025

निर्णय दिनांक  
22.05.2025

1. सत्यनारायण पिता शंकर जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अनवान

- |     | बनाम  | प्रार्थी |
|-----|---|----------|
| 1.  | प्यारी पत्नी डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।   |          |
| 2.  | बद्रीलाल पिता डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।  |          |
| 3.  | भगवानी पुत्री डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा पत्नी माधु जाति जाट निवासी हडमतिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।                 |          |
| 4.  | शान्ता पुत्री डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा पत्नी नारायणलाल निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।           |          |
| 5.  | भग्गु पिता किसना जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।  |          |
| 6.  | मदनलाल पिता रामा जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।  |          |
| 7.  | माधु पिता किशना जाति जाट आयु वयस्क फौत के बजाय- गणपत दत्तक पुत्र माधु जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। |          |
| 8.  | मोहनलाल पिता रामा जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।   |          |
| 9.  | शोभालाल पिता भगवानलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।   |          |
| 10. | किशना पिता गणेश जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।   |          |
| 11. | जगदीश पिता गणेश जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।   |          |
| 12. | बालु पिता गणेश जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।  |          |
| 13. | सन्तोक पुत्री उदेराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।  |          |
| 14. | सोहनलाल पिता रतन जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।  |          |
| 15. | माधु पिता चुन्नीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।   |          |
| 16. | शंकरलाल पिता लेहरू जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।  |          |
| 17. | प्रकाश पिता रतन जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।   |          |
| 18. | शंशीलाल पिता परथु जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।   |          |



*Raj*  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़

1. राम पिता परथु जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. गोलाल पिता छोगा जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
21. गोलाल पिता परथु जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
22. माधु पिता लोभा जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
23. मीना पुत्री छगना जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
24. रतनलाल पिता छोगा जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
25. लीलाशंकर पिता छगना जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
26. शांतिदेवी पत्नी छगना जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
27. कंकु पुत्री लोभा जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
28. किशना पिता गेरु जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
29. गीता पुत्री लोभा जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
30. देवीलाल पिता गेरु जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
31. नारायणलाल पिता छोगा जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
32. धापुबाई पत्नी शंकरलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री नारायण लाल जटिया  
एक तरफा

प्रार्थी  
अप्रार्थीगण

:-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:-:

:-: निर्णय :-:

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बाबरियाखेडा पटवार हल्का दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 118 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 194, 195, 218, 219 कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 119 के आराजी संख्या 191, 192 कुल किता 02 कुल रकबा 0.09 हैक्ट0, खाता संख्या 12 के आराजी संख्या 170, 171 कुल किता 02 कुल रकबा 0.72 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के सह खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजीयात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजीयात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित खातेदार काश्तकार है।




सहायक कमिश्नर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक को अप्रार्थीगण के वाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरगाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजीयात जैरबहस के सहखातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के सहखातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मौजा बाबरियाखेडा पटवार हल्का दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 118 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 194, 195, 218, 219 कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 119 के आराजी संख्या 191, 192 कुल किता 02 कुल रकबा 0.09 हैक्ट0, खाता संख्या 12 के आराजी संख्या 170, 171 कुल किता 02 कुल रकबा 0.72 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 धमाणा को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(राजेश सुरालका)  
उपखण्ड अधिकारी  
कपासन